संख्या-830/2017/2005/22-2-2017-17(147)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-25389/पे0अनु0-(2)-182/ सलाहकार समिति/(एम0 22.06.2017) दिनांक-14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 14.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक, ग्राम-देवी, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी के भाई की वर्ष 1990 में हत्या हुई थी, जिसमें नामजद 04 व्यक्तियों में से 02 व्यक्तियों को मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 19.06.1999 को प्रात: 08.30 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाडी से कमाल अहमद उर्फ गुड्डू पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम् अपर अपर जिला एवं सत्र न्यायालधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2008 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2017 तक 17 वर्ष 04 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 10 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 50 वर्ष 08 माह 06 दिन लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाडी से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी कारागार में निरूद्ध हैं। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की स्वास्थ्य की दशा सन्तोषजनक है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राशिद (बन्दी संख्या-14629) पुत्र श्री आशिक, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-830/2017/2005/(1)/22-2-2017, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।